57 (4) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर पर नियुक्त प्राधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति की आयु को निम्नलिखित तरीके से बढ़ाने का निर्णय लिया है।

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से 60 वर्ष होगी।

(ख) यह निर्णय बोर्ड स्तर पर नियुक्त उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनकी सेवा अवधि इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख को 58 वर्ष पूरे होने पर बढ़ा दी गई हो। वे सेवा अवधि की बढ़ाई गई तारीख समाप्त होने पर ही सेवानिवृत्त होंगे।

(ग) वे मौजूदा पदधारी, जिन्होंने 58 वर्ष का या बढ़ाए गए 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है वे 60 वर्ष तक या 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने तक इनमें से जो भी पहले हो, बने रह सकते हैं। मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति के संबंध में आदेश संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी किए जाएं।

(घ) जहाँ वर्तमान पदधारियों ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है और जिनकी सेवावधि 60 वर्ष तक बढ़ाने की आवश्यकता है वहाँ मामला पहले उनके कार्य–निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मामला–दर–मामला आधार पर लोक उद्यम चयन बोर्ड (पी ई एस बी) के पास भेजना होगा तथा उसके बाद सामान्य प्रक्रिया के अनुसार मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति का अनुमोदन लेना होगा।

(ड.) उपर्युक्त (ग) के परिणामस्वरूप यदि कोई वर्तमान पदधारी 5 वर्ष का कार्यकाल 31 अगस्त 1998 से पहले पूरा कर लेता है तथा उसकी सेवा को जारी रखना आवश्यक समझा जाता है तो संबंधित मंत्री के अनुमोदन से प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग उपर्युक्त (घ) में निर्धारित प्रक्रिया के पूरा होने तक कार्यकाल को तीन महीने तक बढ़ाने की अनुमति दे सकता है।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

(डी.पी.ई. का 30 मई 1998 का.ज्ञा.सं. 18(6)98 जी एम – जीएल –005)